फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग

[स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स](#)

हाल ही में भारत में [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड](#) **(Securities and Exchange Board of India- SEBI)** द्वारा एक म्यूचुअल फंड की संदिग्ध [फ्रंट-रनिंग](#) के लिये जाँच की जा रही है।

- [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996](#) **के तहत फ्रंट-रनिंग या टेलगेटिंग** एक **अवैध गतिविधि** है, जिसमें फंड मैनेजर मूल्य में होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों से लाभ अर्जित करने के लिये बड़े आगामी व्यापार के स्टॉक का पहले से ही क्रय कर लेता है।
  - ऐसा तब होता है जब **कोई व्यक्ति (भेदिया अथवा दलाल) अग्रिम जानकारी** की सहायता से दूसरों से पहले स्टॉक का क्रय कर लेता है।
- **इनसाइडर ट्रेडिंग** तब होती है जब किसी कंपनी में निहित स्वार्थ वाला कोई व्यक्ति व्यापार (स्टॉक का क्रय) करने के लिये **गैर-सार्वजनिक जानकारी** का उपयोग करता है।
  - **इनसाइडर ट्रेडिंग** में प्रायः **कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी** शेयर बाज़ार में लाभ प्राप्त करने के लिये कंपनी की गोपनीय जानकारी का अनुचित उपयोग करते हैं।
  - वहीं **फ्रंट-रनिंग** में प्रायः फंड **मैनेजर या ब्रोकर** अपने ग्राहकों द्वारा किये जाने वाले आगामी ट्रेडों के बारे में अपनी जानकारी का लाभ उठाते हैं।
- भारत में, [SEBI अधिनियम, 1992](#) के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंधित है। SEBI ने [SEBI (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015](#) की स्थापना की है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम करने और प्रतिबंधित करने के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है।
- ये प्रथाएँ **निवेशकों** की **वित्तीय बाज़ारों की निष्पक्षता और पारदर्शिता** में **विश्वास** को कम करती हैं।

और पढ़ें: [म्यूचुअल फंड और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/front-running-and-insider-trading